

27/14/2012-एस0आर0एस0  
भारत सरकार  
कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय  
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

तीसरा तल, लोक नायक भवन,  
खान मार्केट, नई दिल्ली,  
दिनांक 26 जून 2013 ।

सेवा मे,

मुख्य सचिव,  
उत्तर प्रदेश सरकार,  
सचिवालय, लखनऊ ।

मुख्य सचिव,  
उत्तराखंड सरकार,  
सचिवालय, देहरादून ।

विषय :- दिनांक 15.01.2013 को आयोजित परामर्शी समिति की बैठक मे लिये गये निर्णय के अनुसार श्री कैलाश चन्द्र शुक्ल, सहायक अध्यापक से प्राप्त चिकित्सकीय एवं वास्तविक व्यथा नीति से आधारित आवेदन का निपटान ।

महोदय,

मुझे उपर्युक्त विषय के संबंध मे यह कहने का निदेश हुआ है कि दिनांक 15.01.2013 को आयोजित परामर्शी समिति की बैठक में राज्य पुनरावंटन हेतु श्री कैलाश चन्द्र शुक्ल, सहायक अध्यापक, राजकीय उच्च विद्यालय, नागनी, टिहरी गढ़वाल से प्राप्त आवेदन पर विचार किया गया । समिति द्वारा यह पाया गया कि श्री शुक्ल द्वारा चिकित्सकीय एवं वास्तविक व्यथा नीति से संबन्धित आवेदन नियत तिथि 15.02.2010 के उपरांत प्रस्तुत किया गया है, जो विचारयोग्य नहीं है । अतः समिति द्वारा उनके आवेदन निरस्त किए जाने की संस्तुति की गई ।

2. भारत सरकार समिति की उपर्युक्त संस्तुति से सहमत है तथा तदनुसार श्री कैलाश चन्द्र शुक्ल, सहायक अध्यापक, उत्तराखंड राज्य मे बने रहेंगे।

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, लोक नायक भवन  
Deptt. of Personnel & Trg., L. N. B. Bldg., Khajuri  
प्राप्ति और निगम अनुभाग  
Receipt & Issued Section

संबन्धित कार्मिक को निर्णय के बारे मे सूचित किया जाए।

o/c

26 JUN 2013

प्रतिलिपि: ISSUED

भवदीय,  
(सारंगधर नायक)

आवर सचिव, भारत सरकार

- (1) श्री अशोक घोष, प्रमुख सचिव, 30 प्र0 पुनर्गठन समन्वय विभाग, 46, बहुखंडी भवन, सचिवालय, लखनऊ ।
- (2) श्रीमति हेमलता ढोंडियाल, सचिव, पुनर्गठन विभाग, उत्तराखंड शासन, सचिवालय, देहरादून ।